

न्यायालय :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)

श्रृंखला न्यायालय बैहर
(पीठासीन अधिकारी- माखनलाल झोड़)

आपराधिक पुनरीक्षण क्र.-08/2017

संस्थित दिनांक - 05.11.2016

फाईलिंग नंबर सी.आर.आर./104357/2016

मुरलीधर नर्सवानी पिता सच्चानन्द नर्सवानी,
आयु 55 वर्षजाति सिंधी,निवासी वार्ड नं. 06,
उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट म0प्र0

- - - - - पुनरीक्षणकर्ता ।

- / / विरुद्ध / / -

1. बी.एल.ठाकरे पिता नारोजी ठाकरे, जाति पंवार,
निवासी वार्ड नं. 06, उकवा तहसील परसवाड़ा
जिला बालाघाट
2. म0प्र0 शासन द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी
(राजस्व) बैहर जिला बालाघाट

- - - - - अनावेदक ।

{न्यायालय: श्री हर्ष दीक्षित, अनुविभागीय
दण्डाधिकारी (राजस्व) बैहर, जिला बालाघाट, बैहर द्वारा
दांडिक प्रकरण क्रमांक 76/वर्ष 2014-15 डॉ बी.एल.
ठाकरे विरुद्ध मुरलीधर, आदेश दिनांक 04.10.2016
से व्यथित होकर पेश की है}

श्री नदीम कुरैशी अधिवक्ता वास्ते पुनरीक्षणकर्ता ।

श्री जी.एल.गौतम अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्रमांक 1 ।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर, बालाघाट वास्ते उत्तरवादी क्रमांक 2 पूर्व
से अनुपस्थित ।

- / / / आदेश / / / -

(आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को पारित)

1. पुनरीक्षणकर्ता मुरलीधर ने यह आपराधिक पुनरीक्षण अंतर्गत धारा
397 द.प्र.सं. के अधीन न्यायालय श्री हर्ष दीक्षित तत्कालीन अनुविभागीय
दण्डाधिकारी (राजस्व), बैहर द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 76/2014-15 में
धारा 145 उपधारा 2 द.प्र.सं. के अधीन पारित आदेश से क्षुब्ध होकर पेश की
है ।

2. मूल इस्तगासा 1/15 का सार यह है कि पक्षकार क्रमांक 1 बी.एल. ठाकरे का मकान वार्ड नं.06 उकवा में खसरा 156/4 में है जिसमें 6 दुकानें सामने की ओर, पीछे की ओर रहने के लिए कमरे हैं। 6 दुकानों से लगकर पश्चिम दिशा में डिस्पेंसरी है, पूर्व दिशा में शिव मंदिर है, शिव मंदिर से लगी दुकान पिछले 18 वर्ष से मुरली नर्सवानी ने किराये पर ली थी, उसने अपना ताला लगाकर रखा था उपयोग नहीं कर रहा है। खसरा में 156/4 रकबा 26 डिसमिल जमीन है जिसमें दुकान व मकान स्थित है, पक्षकार क्रमांक 1 को किराया प्राप्त नहीं हो रहा है, वह दुकान का ताला खोलना चाहता है।

3. पक्षकार क्रमांक 2 ताला खोलना चाहता है, मना कर रहा है और स्वयं का स्वत्व जता रहा है। मुरली नर्सवानी को नोटिस की नकल दी है, सीमांकन कागजात पेश किये हैं। खसरा नम्बर 156/4 के अंश रकबा 1 डिसमिल पर विवादित दुकान अतिक्रमण कर बनाया है दोनों पक्ष अधिकार बताते हैं जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न होकर शांतिभंग किये जाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 145 जा0फौ0 में इस्तागासा पेश किया है, इस्तगासा के साथ संलग्न कथन व दस्तावेज हैं।

4. इस्तगासा में उपस्थित होने पर डॉक्टर बी.एल.ठाकरे प्रथम पक्ष ने पृथक से उत्तर पेश किया है जो अभिलेख पर है। द्वितीय पक्ष मुरलीधर ने भी बचाव पेश किया है जो मूल मामले में संलग्न हैं। पक्षकार नम्बर 1 ने भी लिखित आपत्ति पेश की है।

5. प्रस्तुत पुनरीक्षण का सार यह है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने थाना रुपझर में शिकायत की कि पुनरीक्षणकर्ता किरायेदार है। अनावेदक के कब्जे व मालिकी के खसरा नम्बर 156/4 रकबा 23 डिसमिल मौजा उकवा में स्थित है जिसमें पूर्व दिशा में शिव मंदिर स्थित है। पुनरीक्षणकर्ता ने अनावेदक को 20 वर्ष पूर्व उक्त दुकान किराये पर दी थी। दिनांक 01.01.2009 को दुकान खाली कर कब्जा सौंप दिया था। एक कमरा पुनरीक्षणकर्ता के

आधिपत्य में किरायेदार के बतौर चली आ रही है अनावेदक जबरन दुकान खाली कराना चाहता है, किरायेदार की राशि में वृद्धि कराना चाहता है।

6. राजस्व प्रकरण क्रमांक 13ए/68 वर्ष 2014-15 में शासकीय भूमि पर बेकब्जा किये जाने के संबंध में सीमांकन किया गया। बाबूलाल ठाकरे अनावेदक का खसरा क्रमांक 154/2 सड़क का भाग है 30 डिसमिल में से 3.75 डिसमिल भूमि में व्यवसायिक पक्का मकान बनाकर किराये से दिया है इसी कारण विवाद हो रहा है। धारा 250 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अधीन कार्यवाही हुई है। पुलिस ने इस्तगासा पेश किया है जिसमें 60 दिवस से अधिक समय से अनावेदक का कब्जा पाया है बिना साक्ष्य दिये आदेश पारित किया गया है। आदेश अवैधानिक है, आदेश पोषणीय नहीं है, याचिका स्वीकार कर आदेश दिनांक 04.10.2016 को निरस्त किये जाने की याचना की है।

—:पुनरीक्षण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2017 में प्रक्रिया विधि के पालन में त्रुटि होने से उक्त आदेश तथ्य और विधि के विपरीत होने से हस्तक्षेप योग्य है ?

—:विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष:-

7. उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिया गया, आलोच्य आदेश दिनांक 04.10.2016 का अध्ययन किया गया। मूल इस्तगासा के शांतिभंग की परिस्थिति उत्पन्न होने से उसे रोके जाने की कार्यवाही की है।

8. वादग्रस्त दुकान के विवाद के आधार पर संस्थित इस्तगासा के आधार पर कार्यवाही हुई है।

9. **धारा 145 उपधारा 2 इस प्रकार है :-**

(1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है, जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा

समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हो, और विवाद की विषयवस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए "भूमि या जल" पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीनक्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति के भाटक या लाभ भी हैं।

(3) इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा समनों की तामील के लिए उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी, जिन्हें मजिस्ट्रेट निदिष्ट करे, और कम से कम एक प्रति विवाद की विषयवस्तु पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी।

(4) मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषयवस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुणागुण या दावे के प्रति निर्देश किये बिना उन कथनों का, जो ऐसे पेश किए गए हैं, परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसे सभी साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाए, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई हो, लेगा जैसा वह आवश्यक समझे और यदि संभव हो तो वह विनिश्चित करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर विवाद की विषयवस्तु पर कब्जा रखता था और यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था:

परन्तु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के, जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई, ठीक पूर्व दो मास के अन्दर या उस तारीख के पश्चात् और उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था।

(5) यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम समय यह निदेश देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज या चीज पेश करे।

(6) इस धारा की कोई बात धारा 107 के अधीन कार्यवाही करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी।

10. उक्त विधिक प्रावधान के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता और गैरपुनरीक्षणकर्ता कमांक 1 के मध्य विवाद की स्थिति होने से और शांति भंग होने की संभावना के आधार पर विद्वान श्री हर्ष दीक्षित अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैहर द्वारा प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें स्पष्ट लेख है कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी प्रकार से दखल नहीं देगा। यह आदेश विधि अनुकूल है। शांति भंग न हो यह व्यवस्था बनाये रखना पुलिस अधिकारी और राजस्व न्यायालय का विधिक दायित्व है। पारित आदेश में तथ्य की और विधि की त्रुटि नहीं है, प्रक्रिया की त्रुटि नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने स्पष्ट लेख किया है कि इस्तगासा के आधार पर 60 दिवस के पूर्व से कब्जा है इसलिए भी आदेश में विधिक त्रुटि नहीं है।

11. प्रस्तुत पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने योग्य न होने से अस्वीकर कर निरस्त की जाती है।

12. आदेश की एक प्रति न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व बैहर की ओर मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर भेजी जावे।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित
किया गया।

सही / —

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर

सही / —

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर